निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1936 (श0)

(सं0 पटना 649) पटना, सोमवार, 11 अगस्त 2014

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(मत्स्य)

———

अधिसूचना

6 अगस्त 2014

सं0 म0/बन्दोबस्ती– 10/2013–1234/मत्स्य—सिवान जिलान्तर्गत बाबा महेन्द्रनाथ मंदिर के पास अवस्थित पोखरा को पर्यटकीय स्थल के रूप में विकसित करने हेतु व्यापक परियोजना प्रस्तावित है। पर्यटन के दृष्टिकोण से उक्त मंदिर एवं पोखरा का काफी ऐतिहासिक महत्व है। उक्त मंदिर बिहार के महत्वपूर्ण तथा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल में से एक है। प्रति वर्ष वहाँ हजारों की संख्या में विवाह सम्पन्न होता है। इस मंदिर का निर्माण तत्कालीन नेपाल के राजा महेन्द्र द्वारा किया गया था और भगवान शिव के बारह ज्योर्तिलिंगों में एक उक्त मंदिर में स्थापित है। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर प्रत्येक वर्ष यहाँ काफी बड़ा मेला लगता है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते है। बिहार स्टेट ट्यूरिज्म डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पोखरे का जीर्णोद्धार एवं मंदिर परिसर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना प्रस्तावित है।

2. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रशासनाधीन राज्य के मत्स्य जलकरों को पशुपालन एवं मत्स्य विभाग (मत्स्य विभाग) को हस्तांतरित किया गया था, जिसमें महेन्द्रनाथ मंदिर परिसर, सिसवन में अवस्थित मेहन्दार पोखरा जिसका खेसरा नं0–10 एवं 48 है तथा रकवा 151 (एक सौ इक्यावन) एकड़ है, को अंचलाधिकारी, सिसवन द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से मत्स्य पालक विकास अभिकरण (मत्स्य विभाग) को भी हस्तांतरित किया गया था।

3. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के द्वारा सिवान जिलान्तर्गत बाबा महेन्द्रनाथ मंदिर के पास अवस्थित पोखरा को पर्यटकीय स्थल के रूप में विकसित करने हेतु व्यापक परियोजना प्रस्तावित है।

4. अतः उक्त पोखरा को जलकर सैरात सूची से अलग करने हेतु आयुक्त सारण प्रमण्डल, छपरा के अनुशंसा के साथ अभिलेख प्राप्त है, के आलोक में उक्त पोखरे को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा बन्दोबस्ती की सूची से अलग किया गया है।

5. एतद् के आलोक में सिवान जिले के सिसवन अंचल के महेन्द्रनाथ मंदिर परिसर अवस्थित मेहन्दार पोखरा खेसरा नं0–10 एवं 48 तथा रकवा 151 (एक सौ इक्यावन) एकड़ को जलकर सैरात सूची से हटाया जाता है।

6. दिनांक 05.08.2014 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय की स्वीकृति प्रदान की गयी है जो संचिका सं0–म0/बन्दोबस्ती–10/2013 के पृष्ठ 8/टि0 संचित है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग/ विभागाध्यक्षों/सभी प्रमंडलीय आयुक्तों/सभी जिलाधिकारियों/सभी भूमि सुधार उप–समाहर्त्ताओं तथा सभी अंचलाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ अग्रसारित की जाए।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 649-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in